न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14/2022

बउनवान

दाखां बाई पुत्री श्री किशना पत्नि गोबरीलाल आयु 65 साल जाति धोबी, निवासी माथनी तहसील व जिला बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1. बजरंगलाल आयु 40 साल पुत्र श्री किशना जाति धोबी निवासी बराना तहसील बारां
2. प्रभूलाल आयु 36 साल पुत्र श्री किशना जाति धोबी निवासी बराना तहसील बारां
3. केदारबाई पुत्री किशना आयु 45 साल पत्नि श्री मांगीलाल जाति धोबी निवासी बराना
4. नट्टीबाई पुत्री किशना आयु 43 साल पत्नि श्री जमनालाल जाति धोबी निवासी हाउसिंग बोर्ड, तेल फेक्ट्री, बारां तहसील व जिला बारां, राज0
5. द्वारकाबाई आयु 40 साल पुत्री श्री किशना पत्नि रामलाल जाति धोबी निवासी इकलेरा तहसील व जिला बारां
6. गेंदीबाई पत्नी स्व. श्री किशना आयु 85 साल जाति धोबी निवासी बराना
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) **(रेंस्पोडेंटगण)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं0 407 दिनांक 03.05.2006

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा एडवोकेट **(अपीलांट)**

2. श्री सिमरनजीत सिंह एडवोकेट **(रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 4 व 6)**

निर्णय दिनांक 07.08.2024

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक किशना के दो पुत्र व चार पुत्रियां है, लेकिन विवादित इंतकाल में मात्र पुत्रों के साथ बेवा का ही नाम दर्ज किया गया है। पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया गया। अपीलांट मृतक किशना की पुत्री है तथा नियमानुसार मृतक किशना की आराजीयात में अपीलांट का नाम दर्ज होना न्यायोचित था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बजरंगलाल व प्रभूलाल से मिलीभगत कर अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया, इस कारण इंतकाल काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नं. 407 दिनांक 03.05.2006 को निरस्त फरमाते हुए उपरोक्त इंतकाल में दर्ज आराजीयात में अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस् अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक पिता की आराजीयात में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं कर मृतक के दोनो पुत्रों एवं बेवा के नाम से इंतकाल दर्ज कर स्वीकार कर दिया। अपीलांट के अतिरिक्त मृतक के तीन पुत्रियां और भी हैं। जबकि ग्राम बराना की आराजीयात मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 115 संवत् 2071-74 में अपीलांट सहित मृतक के समस्त वारिसान का नाम अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:16:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

है। अतः ग्राम बराना का इंतकाल नं. 407 दिनांक 03.05.2006 को निरस्त फरमाते हुए उपरोक्त इंतकाल में दर्ज आराजीयात में अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि ग्राम बराना की आराजीयात मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 115 संवत् 2071–74 में अपीलांट सहित मृतक के समस्त वारिसान का नाम अंकित है तथा अपीलाधीन नामांन्तकरण मात्र रेस्पो. कम 1, 2 व 6 के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 407 दिनांक 03.05.2006 ग्राम बराना निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक किशना के समस्त वारिसान के पक्ष में बाद जांच नामान्तकरण नये सिरे से दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:16:46 IST
Reason: SelfAttested